



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 मई, 2014
ज्येष्ठ 1, 1936 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9

संख्या 595/नौ-9-2014-195द्वि०रा०वि०आ०-04
लखनऊ, 22 मई, 2014

अधिसूचना

प0आ0-157

उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति (प्रक्रिया का विनियमन एवं उसके कृत्यों का क्रियान्वयन) नियमावली, 2011 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि महानगर क्षेत्र के लिये महानगर योजना समिति के सदस्यों की संख्या 30 होगी।

आज्ञा से,
श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 595/IX-9-2014-195Dwi.Ra.Vi.Ayo.-04, dated May 22, 2014:

No. 595/IX-9-2014-195Dwi.Ra.Vi.Ayo.-04
Dated Lucknow, May 22, 2014

IN exercise of the powers under sub-rule (1) of rule 4 of the Uttar Pradesh Metropolitan Planning Committee (Regulation of Procedure and Execution of its Functions) Rules, 2011, the Governor is pleased to notify that the Metropolitan Planning Committee for the Metropolitan area shall consist of 30 members.

By order,
SHREEPRAKASH SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 115 राजपत्र (हि०)-2014-(284)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० नगर विकास-2014-(285)-150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।